राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

दिनांक 10.12.2020

डीसी केटेगरी (Departmental candidate)

DC category में आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी जो आरएएस परीक्षा, 2018 की मुख्य परीक्षा के सभी विषयों में उपस्थित हुए है (**ऐसे डी.सी. अभ्यर्थी जिनके द्वारा डी.सी. के संबंध में पूर्व में साक्ष्य प्रस्तुत कर दिये है, को छोडकर**) को सूचित किया जाता है कि दिनांक **11.12.2020 से 15.12.2020** तक व्यक्तिशः आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा ऑनलाईन माध्यम से स्वंय की **डीसी केटैगरी के अन्तर्गत पात्रता** के सबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें जिसमें अभ्यर्थी के उक्त परीक्षा के विज्ञापन दिनांक 02.04.2018 के पूर्व से लेकर वर्तमान में कार्यरत होने सबंधी सूचना का विवरण अंकित हो। प्रार्थना पत्र के साथ सेवारत होने सबंधी साक्ष्य भी संलग्न करें। एक से अधिक सेवा होने पर सभी का अकंन करें। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार सूचना अंकित हो–

अभ्यर्थी का नाम : **रोल :**

क्र.सं.	पदनाम	विभाग का नाम	सेवा अवधि	
			से	तक

ऑनलाईन माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग के Email ID– feedback.rpsc@rajasthan.gov.in पर प्रार्थना पत्र ईमेल करें एवं ईमेल के subject में Regarding DC certificate for RAS 2018 का अवश्य उल्लेख करें ।

उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में सूचना प्रेषित नहीं किये जाने वाले डीसी केटेगरी के अभ्यर्थियों को अन्य कोई अवसर देय नही होगा और कोई अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे डीसी केटेगरी (Departmental candidate) में विचारित नही करते हुए उनकी डीसी केटेगरी हटा दी जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वंय की होगी ।

भूतपूर्व सैनिक केटेगरी (Ex-serviceman)

आरएएस परीक्षा, 2018 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक वर्ग के निम्नांकित रोल न0 वाले अभ्यर्थी भी **दिनांक 11.12.2020 से 15.12.2020** आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर स्वंय की **भूतपूर्व सैनिक वर्ग की पात्रता** के सबंध में साक्ष्य (सिविल जॉब एनओसी/पीपीओ/दोहरा लाभ प्राप्त नही करने का शपथ/सेना डायरी/नियुक्त में कार्यग्रहण के दौरान इस परीक्षा में आवेदन की स्पष्ट सूचना–जो भी लागू हो) प्रस्तुत करें :–

रोल न0 – 801255, 821638, 803613, 811713, 821894, 810955 एवं 826582

उक्त अवधि में वांछित सूचना/साक्ष्य आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में अन्य कोई अवसर देय नही होगा और भूतपूर्व सैनिक वर्ग में पात्रता विचारित नहीं करते हुए भूतपूर्व सैनिक वर्ग हटा दिया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वंय की होगी ।

(नीतू यादव)
संयुक्त सचिव